बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

स0स0– पि0व0/7/आ0क0वि0प्र0 एव संधा0–39–19/2024 पटना, दिनाक–

कार्यालय आदेश

बिहार सेवा सहिता के नियम–233, 234 एव 248 मे निहित प्रावधान के आलोक मे श्री दिनेश कुमार साहू, प्रारभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा–6 से 8), विषय–भाषा, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अरवल का दिनाक–04 05 2026 से दिनाक–25 05 2026 तक (कुल–22 दिनों का अवधि के लिए कुल–44 दिन आधे वेतन पर अवकाश के समतुल्य रूपातरित अवकाश कुल–22 (बाईस) दिनो के पूर्ण वेतन पर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2–रूपातरित अवकाश अवधि का वेतनादि का भुगतान सबधित व्यय शीर्ष से होगा।

3–प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(गोपाल प्रसाद)
उप निदेशक।

ज्ञापांक– पि0व0/7/आ0क0वि0प्र0 एवं संधा0–39–19/2024– पटना, दिनाक–

प्रतिलिपि:–उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मगध प्रमडल, गया/जिला पिछड़ा एव अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अरवल/प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2– श्री दिनेश कुमार साहू, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा–6 से 8), विषय–भाषा, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक।

ज्ञापांक– पि0व0/7/आ0क0वि0प्र0 एवं संधा0–39–19/2024– पटना, दिनाक–

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप निदेशक।
Signed by Gopal Prasad
Date: 01-06-2026 10:06:36

Scanned with CamScanner